

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

उ.प्र. पुलिस/यातायात पुलिस

बुक संख्या -

459

वाहन स्वामी/स्वामिनी का नाम

निवासी/निवासिनी

क्षेत्र

वाहन की किस्म

की वैधता

M/S OLA पत्नी देवगुलाजी पुंडाल 0
3 काग विहार (पुनर्) पुनर्-यात्री के लिए
उल्लंघन करने का स्थान
दिनांक 16-4-19 समय वाहन संख्या HR55AB
परमिट संख्या 6784 परमिट

अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध-पत्र

मैं श्री/श्रीमती

निवास स्थान

निवासीनी हूँ। इस लेख द्वारा वचन देता/देता हूँ कि आगामी दिनांक

प्रातः को

अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए उपस्थित रहूंगा/रहूंगी और

उपस्थित न होने पर मैं अपने को इस बात को बाध्य करता/करती हूँ कि न्यायालय द्वारा निर्धारित

दण्ड/जुर्माने के उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किए

जाने का विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक

अपराध का विवरण

धारा

1-

2-

3-

विना कागजात वाहन चलाना - 207 MV Act

उक्त बन्ध-पत्र के साथ चालानकर्ता अधिकारी

द्वारा प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

वाहन संख्या

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर मालिक/चालक

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व पद का नाम

थाना (नियुक्ति स्थान)

जन्मपद

दिनांक

थाना-अकराबाद, अलीगढ़

16/4/2019

धर्मेन्द्र कुमार

(उ०नि०)